प्र. सं. 167/12 Online No. 2012/00223

Smt. नन्दू / मगना व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/8/22	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष आज वर्क सस्पेंड/कॉजलेस है। पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 24/8/22 को पेश हो। आदेश से रीडर	
24/8/22	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी अ. वादीगण के शपथपत्र या मुख्य परीक्षा करवाकर अन्य दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादीगण अपनी साक्ष्य अब कोई गवाह पेश नहीं करना चाहते हैं। वादीगण की साक्ष्य बंद की गयी है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 31/8/2022 को पेश हो।	अ.नि. नन्दू
31/8/22	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के बहस अन्तिम सुनी गयी। वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 7/9/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	
7-9-2022	पत्रावली पेश हुयी वादिया अधिवक्ता उपस्थित वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 R.T.A. को स्वीकार किया जाता है प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय संलग्न है प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम करे। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति ओम प्रभा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 167/12 रे0वा0

1. श्रीमती नन्दू पुत्री श्री केला पत्नी श्री मूला जाट आयु वयस्क निवासी सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा–राज0

—— वादिया

बनाम

1. मगना आत्मज श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा–राज0 मृतक के बजाय कायम मुकाम–

1/1 रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री मगना जाट निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाडा

1/2 भैरू पुत्र स्व0 श्री मगना जाट निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाडा

1/3 प्रेम पुत्री स्व0 श्री मगना जाट निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाडा

1/4 श्रीमति जडाव पत्नि स्व0 मगना जाट निवासी सालरा **(मृतक डिलिट)**

निवासीयान सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा–राज0

2. उरजन आत्मज श्री बालू जाट निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय मुकाम–

2/1 गोपाल पुत्र स्व0 श्री उरजन जाट निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाडा

2/2मांगी लाल पुत्र स्व0 श्री उरजन जाट निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाडा

2/3 मोती लाल पुत्र स्व0 श्री उरजन जाट निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाडा

2. बंशी आत्मज श्री बालू जाट निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
4. हीरा लाल आत्मज श्री छीतर जाट निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा**(डिलीट)**
5. रामेश्वर आत्मज श्री छीतर जाट निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा**(डिलीट)**
6. जगदीश आत्मज श्री गणेश जाट निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा**(डिलीट)**
7. राधा पुत्री श्री गणेश जाट निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा(डिलीट)
8. श्रीमती धापू पत्नी श्री गणेश जाट निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा**(डिलीट)**
9. श्रीमती लेहरी पत्नी स्व0 श्री महाराम जाट निवासी सालरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा**(डिलीट)**
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, जिला भीलवाड़ा–राज0
11. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा–राज0

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादिया की और से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित व
प्रतिवादीगण की ओर से – मैं इस वाद को आज दिनांक 07.09.2022 को ओम प्रभा, आर.
ए.एस. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष
अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है
कि और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रूपये की राशि आज दिनांक से वसूली
तारीख तक उस पर प्रतिशत को दी जावे।

वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 2836, 2837, 2838, 2839, 2841, 2842, 2843, 2844 कुल किता 08 कुल रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा भूमि में नन्दू पुत्री केला पत्नि मूला जाट हिस्सा 1/3 (वादिया) के नाम एवं मगना वल्द बालू जाट हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 01 मृतक कायम मुकाम 1/1 रामेश्वर पुत्र मगना जाट 1/2 भैरू पुत्र मगना जाट 1/3 प्रेम पुत्री मगना जाट के नाम एवं उरजन वल्द बालू जाट हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 02 मृतक कायम मुकाम 2/1 गोपाल पुत्र उरजन जाट 2/2 मागीलाल पुत्र उरजन जाट 2/3 मोतीलाल पुत्र उरजन जाट के नाम बंशी वल्द बालू जाट हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 03 के नाम हिस्सा दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 04 से लगायत 09 के हिस्से में राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।इस वाद संख्या 34/2022 के पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम एवं वादग्रस्त ग्राम सांगानेर के आराजी नम्बर 1008/1, 1025, 1029, 779/1, 780/1, 781, 782, 783, 784/1, 2267/782 है। पूर्व प्रकरण संख्या 118/2019 में भी पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम एवं वादग्रस्त ग्राम सांगानेर के आराजी नम्बर 1008/1, 1025, 1029, 779/1, 780/1, 781, 782, 783, 784/1, 2267/782 है। इस प्रकार उपरोक्त दोनो ही प्रकरणो में एक ही ग्राम एवं वादग्रस्त आराजी एवं उनवान पक्षकार समान है। पूर्व प्रकरण संख्या 118/2019 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा के आधार पर दिनांक 05.08.2020 निर्णय हो चुका है। राजीनामा के आधार पर वाद पूर्व में विड्रो हो चुका है। वादीगण का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 7.9.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
प्रदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा